तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 144/2024 मंगलचंद बनाम अमन मांजू वगै0 प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम ढेवा का बास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 197 रकबा 0.90 है0, खसरा नं. 73 रकबा 0.23 है0 किता 2 का कुल रकबा 1.13 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदकगण की खातेदारी भूमि है। आवेदकगण ने अपनी भूमि खसरा नं. 197 रकबा 0.90 है0 भूमि का संलग्न सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश से दिनांक 26.06.2023 को पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थीगण पूर्णतया संतुष्ट हैं। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगडी करवाना चाहते हैं। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगड़ी करवाने में प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगडी करवाने में सहमति जाहिर की। बहस सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम ढेवा का बास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 197 रकबा 0.90 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 के अनुसार पत्थरगडी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ढेवा का बास तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 197 रकबा 0.90 है0 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार पत्थरगड़ी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 31/1/25 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं झुन्झुनू (राज.)	